झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: ***संकल्प*** ::

कृपया पढ़े :–

1. उपायुक्त, देवघर के पत्रांक–151 / गो0, दिनांक 25.01.2012
2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–2203, दिनांक 06.03.2012, पत्रांक–7592, दिनांक 29.06.2012 एवं संकल्प संख्या–412, दिनांक 16.01.2015
3. विभागीय जाँच पदाधिकारी का पत्रांक–245, दिनांक 16.10.2015

श्री राजेश कुमार सिंह, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला– गोड्डा), के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, करौं, देवघर के पद पर कार्यावधि से संबंधित आरोप उपायुक्त, देवघर के पत्रांक–151 / गो0, दिनांक 25.01.2012 द्वारा प्रपत्र–'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गये :–

आरोप– श्री सिंह द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, करौं, देवघर के पद पर कार्यावधि में धूम्ररहित चूल्हा एवं सूचना पट्ट का क्रय करने के लिए निम्न तिथियों को आदेश निर्गत किया गया :–

तिथि	चूल्हा	नेमप्लेट	भुगतान की गयी राशि
19.03.09	293		146500.00
18.09.09	290		145000.00
19.03.09		245	49000.00
18.09.09		290	58000.00
		कुल	**398500.00**

धूम्ररहित चूल्हा एवं नेम प्लेट का क्रय करने के पूर्व न तो कोई निविदा आमंत्रित की गयी और न ही कोई कोटेशन प्राप्त किया गया। फर्म को उनके माँग एवं अनुरोध पत्र के आधार पर सीधे आपूर्ति किया गया, जिस फर्म से धूम्ररहित चूल्हा एवं मार्बल प्लेट का क्रय किया गया उसका न तो निबंधन है और न ही टिन नम्बर।

इस प्रकार प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा क्रय संबंधी प्रक्रियाओं को पालन नहीं किए जाने एवं अनियमित व्यय किए जाने की जाँच हेतु आदेश ज्ञापांक–2140 / गो0, दिनांक 24.12.2011 द्वारा जाँच दल का गठन किया गया।

जाँच दल के वरीय प्रभारी पदाधिकारी के पत्रांक–428 / भू0अ0, दिनांक 29.12.2011 द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है, जिसके आधार पर संबंधित प्रखण्ड विकास

पदाधिकारी द्वारा धूम्ररहित चूल्हा एवं सूचना पट्ट के क्रय में अनियमितता बरती गयी है। (लोगो) प्रतीक चिन्ह लगाए जाने हेतु स्वीकृत दर 20.00 रूपये के विरूद्ध प्रति इकाई 200.00 रूपये की दर से सामग्री का क्रय अनधिकृत एजेंसी से किया जाना और इसी तरह धूम्ररहित चूल्हा के क्रय में भी क्रय संबंधी प्रक्रियाओं का अनुपालन नहीं किया जाना बरती गयी अनियमितता से परिलक्षित कराता है।

दूसरा आरोप यह भी है कि श्री सिंह द्वारा क्रय किये गये सामग्रियों को अभी तक लाभुकों के बीच वितरित नहीं किया गया है। प्रखण्ड नाजिर के लिखित प्रतिवेदन के अनुसार क्रय की गयी सामग्री अभी तक प्रखण्ड भंडार में ही रखा हुआ है।

इस प्रकार कुल 398500/– रूपये सरकारी राशि का व्यय अनियमित रूप से निहित स्वार्थ से प्रेरित होकर किया गया, परंतु उसका लाभ लाभुकों को नहीं मिल पाया, जो प्रखण्ड विकास पदाधिकारी श्री सिंह के लापरवाही एवं मनमानेपन को उजागर करता है।

उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक–2203, दिनांक 06.03.2012 द्वारा श्री सिंह से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री सिंह के पत्र, दिनांक14.05.2012 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। विभागीय पत्रांक–7592, दिनांक 29.06.2012 एवं अनुवर्ती स्मार पत्रों द्वारा उपायुक्त, देवघर से श्री सिंह के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, परन्तु इनका मंतव्य अप्राप्त रहा। अतः मामले के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प संख्या–412, दिनांक 16.01.2015 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्री शुभेन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, तत्कालीन विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

श्री झा के पत्रांक–245, दिनांक 16.10.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। विभागीय कार्यवाही के दौरान श्री सिंह द्वारा समर्पित बचाव बयान निम्नवत् है :–

1. श्री सिंह का कहना है कि झारखण्ड प्रशासनिक सेवा में योगदान देने के पश्चात् इनका पहला पदस्थापन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, करौं के पद पर दिनांक 30.11.2007 से 10.01.2010 तक रहा है।

झारखण्ड सरकार, ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक–4462/राँची, दिनांक 30.07.2004 में अनुमोदित दर 3000 रू0 निर्धारित सीमा के अंदर आवास योजना अन्तर्गत इंदिरा आवास की प्रत्येक इकाई हेतु धूम्ररहित चूल्हा का क्रय एवं सैनिट्री लैट्रीन का निर्माण

किया गया है यानि मुख्य अभियंता–सह–कार्यकारी निदेशक, एच0 आर0डी0 / आई0ई0सी0 राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के पत्रांक– PMU(SWSM)/906/13.12.08 में अंकित प्रमाणक दर के अनुसार 500 रू0 में संबंधित चूल्हा का क्रय एवं 2500 रू0 में शौचालय निर्माण कार्य कराया गया है।

ग्रामीण विकास विभाग के सुसंगत पत्र का अनुपालनार्थ सक्षम प्राधिकार के द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालय (प्रखण्ड) को प्रचारित संबंधित पत्र (ज्ञापांक– 1806 / जि0ग्रा0वि0, दिनांक 17.08.2004) संलग्न किया गया है।

वित्त विभाग के ज्ञापांक सं0– 2761 / वि0, दिनांक 28.10.2003 के कंडिका–(v) में प्रावधानित है कि सामग्रियों के क्रय हेतु सक्षम पदाधिकारी के स्तर से विभाग द्वारा निर्धारित फर्मों / आपूर्तिकर्त्ताओं को आपूर्ति आदेश, निविदा आमंत्रित किए बिना दिया जा सकेगा तथा निविदा आमंत्रण से संबंधित नियम / परिपत्र इस मामले में लागू नहीं होगें।

वित्त विभाग के उपर्युक्त सुसंगत परिपत्र से स्पष्ट हो जाता है कि प्रासंगिक मामले में निविदा आमंत्रित कर कोटेशन प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी।

धूम्ररहित चूल्हा एवं सूचना पट्ट का आपूर्तिकर्त्ता मे0 राजा मार्बल हाउस, देवघर का टिन सं0 एवं जिला उद्योग केन्द्र, देवघर के द्वारा निर्गत निबंधन संख्या क्रमशः 20522601075 एवं 100701945 दिनांक 22.02.2002 है।

इनका कहना है कि लोगो (प्रतीक चिन्ह) का क्रय इनके द्वारा नहीं किया गया है। बल्कि सूचना पट्ट का क्रय सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित दर 200 रू0 के आधार पर किया गया है।

जाँच दल द्वारा सूचना पट्ट एवं लोगो (प्रतीक चिन्ह) में अन्तर नहीं किया गया है।

2. क्रय किये गये सूचना पट्ट (लोगो प्रतीक चिन्ह) के संबंध में इनका कहना है कि सामान्य प्रक्रिया के तहत् सूचना पट्ट एवं धूम्ररहित चूल्हा लाभुकों को कार्यालय सहायक की सूचना पर भंडारपाल सह नाजिर द्वारा लाभुकों को द्वितीय किस्त की राशि के भुगतान के समय उपलब्ध कराया जाता था। आवास निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण प्रतिनियुक्त क्षेत्रीय पर्यवेक्षक एवं पंचायत सेवकों द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय पर्यवेक्षक अथवा पंचायत सचिवों द्वारा सूचना पट्ट आदि लाभुकों को अनुपलब्ध रहने की सूचना से मुझे वंचित रखा गया। जबकि भंडार निरीक्षण के पश्चात् मेरे द्वारा पत्रांक– 800, दिनांक 14.10.2009 द्वारा

सूचना पट्ट एवं धूम्ररहित चूल्हा लाभुकों को हस्तगत कराकर स्थापन किये जाने का लिखित निर्देश सभी क्षेत्रीय पर्यवेक्षक, पंचायत सेवक, इंदिरा आवास योजना सहायक एवं प्रधान सहायकों को दिया जा चुका था। इसके बावजूद एवं जनवरी, 2010 में मेरे स्थानांतरण के कारण भंडार का मेरे द्वारा पुनर्निरीक्षण संभव नहीं हो पाने के कारण इनकी गैर जानकारी में इन सामग्रियों का वितरण लंबित रह गया।

अतः संबंधित राशि का व्यय संसुगत सरकारी परिपत्र में निहित प्रावधान एवं सक्षम प्राधिकार के निदेश के आलोक में किया गया है। लाभुकों को लाभ ससमय मिले इस हेतु प्रयास किया गया है परन्तु मेरा स्थानांतरण के फलस्वरूप मेरे पदस्थापन काल में वितरण नहीं हो सका है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित विभागीय कार्यवाही के जाँच–प्रतिवेदन के तथ्य निम्नवत् है :–

इंदिरा आवास योजना में धूम्ररहित चूल्हा तथा सूचना पट्ट के क्रय में आरोपी पदाधिकारी द्वारा बरती गयी अनियमितता की जाँच उपायुक्त, देवघर के द्वारा जाँच दल गठित कर करायी गयी थी। इस जाँच दल में जिला भू–अर्जन पदाधिकारी सह वरीय पदाधिकारी, करौं प्रखण्ड, श्री रवि राज शर्मा, जिला परिवहन पदाधिकारी, देवघर तथा डा0 ज्योति कुमार सिंह, कार्यपालक दण्डाधिकारी को सम्मिलित किया गया था। जिला भू–अर्जन शाखा के पत्रांक–428, दिनांक 29.12.2011 से जाँच प्रतिवेदन उपायुक्त को प्राप्त कराया गया है। इस जाँच प्रतिवेदन के आधार पर इंदिरा आवास योजना में धूम्ररहित चूल्हा एवं सूचना पट्ट के क्रय में अनियमितता बरतने का आरोप गठित किया गया है।

आरोपित पदाधिकारी ने मो0 राजा मार्बल हाउस, देवघर से कुल 583 धूम्ररहित चूल्हा तथा 535 सूचना पट्ट का क्रय किया है। कुल 583 धूम्ररहित चूल्हा के लिए 2,91,500/– तथा कुल 535 सूचना पट्ट के लिए 1,07,000/– अर्थात कुल 3,98,500/– रू0 का भुगतान आरोपित पदाधिकारी के द्वारा वर्ष 2009 में किया गया है।

आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध यह आरोप है कि इसके लिए इन्होंने निर्धारित प्रक्रिया यथा निविदा आमंत्रित करने एवं कोटेशन प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं अपनायी है। साथ ही, जिस फर्म को सामग्री क्रय का आदेश दिया गया है, वह न तो निबंधित है और न ही उसे TIN No. आवंटित है।

उपरोक्त सामग्री का क्रय मार्च 2009 एवं सितम्बर 2009 में किया गया है। जाँच दल के जाँच की तिथि तक क्रय की गयी सामग्री लाभुकों के बीच वितरण नहीं होने का भी आरोप है। जाँच के दौरान ये सामग्री प्रखण्ड के भंडार में रखा हुआ पाया गया।

आरोपित पदाधिकारी ने अपने कारण पृच्छा में यह कहा है कि वे प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, करौं के रूप में 30.11.2007 से 10.01.2010 तक कार्यरत रहे हैं। ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–4462, दिनांक 30.07.2004 के द्वारा इंदिरा आवास योजनाओं के लिए धूम्ररहित चूल्हा तथा Sanitary Latrine के स्थापना हेतु 3000.00 रूपये का दर अनुमोदित किया गया था। इसके अन्तर्गत 500.00 रूपये प्रति इकाई की दर से धूम्ररहित चूल्हा पर तथा 2500.00 रूपये शौचालय निर्माण पर व्यय किया जाना है। वित्त विभाग के ज्ञापांक–2761, दिनांक 28.10.2003 की छायाप्रति संलग्न करते हुए उनका कहना है कि सामग्रियों के क्रय हेतु सक्षम पदाधिकारी के स्तर से विभाग द्वारा निर्धारित फर्म/आपूर्तिकर्त्ता को बगैर निविदा आमंत्रण के आपूर्ति आदेश देने का प्रावधान किया गया है। इस परिपत्र के आलोक में धूम्ररहित चूल्हा तथा सूचना पट्ट क्रय किया गया है, जिसके लिए निविदा आमंत्रित करने अथवा कोटेशन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। आरोपित पदाधिकारी ने धूम्ररहित चूल्हा का क्रय प्रति इकाई 200.00 रूपये की दर पर मेसर्स राजा मार्बल हाउस, देवघर से किया है। इस फर्म को TIN आवंटित है तथा जिला उद्योग केन्द्र, देवघर से यह फर्म निबंधित भी है। कारण पृच्छा के साथ जिला उद्योग केन्द्र के पत्रांक–335, दिनांक 22.02.2002 द्वारा निर्गत औपबंधिक निबंधन प्रमाण पत्र की छाया प्रति, वाणिज्यकर अंचल, देवघर के ज्ञापांक–53, दिनांक 18.07.2007 के द्वारा इस फर्म के निबंधित होने, TIN आवंटित होने तथा 31.05.2007 तक के वाणिज्यकर भुगतान करने का प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न किया है। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के आदेश ज्ञापांक–563, दिनांक 10.07.00 के द्वारा 1 फीट X1 फीट आकार के सूचना पट्ट की आपूर्ति हेतु मे0 सुशील इंटरनेशनल, देवघर का चयन तथा प्रति इकाई दर 200.00 रूपये अनुमोदित किया गया है। आरोपित पदाधिकारी का कहना है कि उन्होंने अनुमोदित दर पर धूम्ररहित चूल्हा तथा सूचना पट्ट का क्रय किया गया है। अतः इनके विरूद्ध सामग्रियों के क्रय में अनियमितता बरतने का आरोप सही नहीं है।

क्रय किए गए धूम्ररहित चूल्हा तथा सूचना पट्ट का वितरण लाभुकों के बीच नहीं होने के संबंध में आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि धूम्ररहित चूल्हा एवं सूचना पट्ट लाभुक के द्वितीय किस्त के भुगतान के समय करने की व्यवस्था रखी गयी थी।

उनहोंने अपने पत्रांक–800, दिनांक 14.10.2009 के द्वारा सभी क्षेत्रीय पर्यवेक्षक तथा पंचायत सचिवों को यह निदेशित किया था कि धूम्ररहित चूल्हा एवं सूचना पट्ट प्रखझड भंडार में उपलब्ध है, अतः लाभुकों के द्वितीय किस्त भुगतान के समय इस सामग्री की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाय। जनवरी 2010 में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, करौं के पद से वे स्थानांतरित हो गए। अतः इस कार्य में उदासीनता बरतने का आरोप सही नहीं है।

आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त कारण पृच्छा पर उपायुक्त, देवघर का पत्रांक–1482, दिनांक 08.10.2015 के द्वारा उप विकास आयुक्त, देवघर से प्राप्त मंतव्य से सहमत होते हुए उसे संलग्न कर भेजी गयी है। इस मंतव्य में आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त कारण पृच्छा को स्वीकार करने योग्य बताया गया है।

आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त कारण पृच्छा पर दोनों पक्ष को सुनने के उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, देवघर के द्वारा निर्गत पत्रांक–563, दिनांक 10.07.00 द्वारा विभिन्न विकास योजनाओं के लिए सूचना पट्ट की आपूर्ति हेतु मे0 सुशील इंटरनेशनल, देवघर का चयन करते हुए 1 फीट X1 फीट आकार के सूचना पट्ट के लिए 200.00 रूपये प्रति इकाई की दर अनुमोदित किया गया था। धूम्ररहित चूल्हा की आपूर्ति के लिए न तो किसी फर्म का चयन किया गया और न ही किसी दर का अनुमोदन किया गया है। मुख्य अभियंता सह कार्यकारी निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के पत्रांक– PMU(SWSM906) दिनांक 13.12.2008 के द्वारा शौचालय निर्माण हेतु 2500.00 रूपये प्रति इकाई निर्धारित की गयी है। इस प्रकार अवशेष राशि 500.00 रूपये की सीमा के अन्दर धूम्ररहित चूल्हा मद में व्यय करना था। आरोपित पदाधिकारी के द्वारा धूम्ररहित चूल्हा का क्रय अवशेष राशि 500.00 रूपये प्रति इकाई की दर से किया गया है तथा सूचना पट्ट की आपूर्ति जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा निर्धारित दर 200.00 प्रति इकाई से किया गया है परन्तु जिस फर्म से धूम्ररहित चूल्हा एवं सूचना पट्ट की क्रय आरोपित पदाधिकारी ने किया है, वह फर्म अनुमोदित नहीं है। ऐसी स्थिति में वित्त विभाग के ज्ञापांक–2761, दिनांक 28.10.2003 में किए गए प्रावधान (सामग्रियों के क्रय हेतु समक्ष पदाधिकारी के स्तर से निर्धारित फर्म आपूर्तिकर्त्ताओं आपूर्ति आदेश बिना निविदा आमंत्रण किया जा सकेगा) का लाभ उन्हें नहीं मिल सकता है। अतः स्पष्ट रूप से धूम्ररहित चूल्हा का क्रय एवं सूचना पट्ट का क्रय आरोपित पदाधिकारी ने जिस फर्म से किया है वह सक्षम स्तर से चयनित/अनुमोदित फर्म नहीं था। धूम्ररहित चूल्हा का क्रय 500.00 रूपये प्रति इकाई की दर से किया गया है। यह दर भी सक्षम स्तर से

निर्धारित/अनुमोदित नहीं था। अतः धूम्ररहित चूल्हा तथा सूचना पट्ट के क्रय करने में अनियमितता बरतने का आरोप इनके विरूद्ध प्रमाणित होता है। चूँकि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पद से इनका स्थानांतरण 10.01.2010 को हो गया है, इसलिए क्रय किए गए सामग्रियों का लाभुकों के बीच वितरण करने में शिथिलता बरतने का आरोप पूर्ण रूप से इनके विरूद्ध प्रमाणित नहीं होता है।

श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त, **प्रमाणित आरोपों हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम–14(iv) के तहत् श्री राजेश कुमार सिंह, झा0प्र0से0, प्रथम बैच पर दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।**

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री राजेश कुमार सिंह, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

15.7.16

(दिलीप तिर्की)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–5/आरोप–1–534/2014 का०– 6021 /राँची, दिनांक 15 जुलाई, 2016

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को राजकीय, गजट के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

15.7.16

सरकार के उप सचिव।